


9-2-18



पञ्जवली पेशाई। वकील सावरी उपर है।
पञ्जवली का उखलौकन किया गया है।
२१-२-१७ से आज तक कई उखरार दिये गये
परन्तु आज तक भी तलबी हेतु तलबका
नोटिस पेश नहीं किया है इससे जाहिर है
कि सावरी अपना गांव पञ्जवली जाना नहीं
चाहता है अतः ०७ अ-५ में र.प. गांव
खारिज किया गया। पञ्जवली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कर हो। जोश
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक